न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 05 / 2024

श्री महावीर खंण्डेलवाल निवासी 22 आदर्श मौहल्ला सूचना केन्द्र के पीछे भीलवाडा राज0 पिन 311001 --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 19.03.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 31.08.1998 वाके ग्राम चन्दलाई जिला टोंक के सभी कागजात जिसके आधार पर नामान्तरकरण किया गया की सत्यापित प्रतिलिपि व नामान्तरकरण की जानकारी दिलाने हेतु आवश्यक कागजात की प्रतिलीपी सत्यापित दिलावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 97 दिनांक 12.02.2024, 144 दिनांक 22.02.2024 व 249 दिनांक 06.3.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र कमांकः 1349 दिनांक 20.02.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उनके पत्र कमांक 203 दिनांक 09.01.2024 से जरिये रजि0 डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)